

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2013/1037

दिनांक:- 19/9/13

शुद्धि पत्र

आदेश क्रमांक मुसप्र/पंजी योजना/2013/761 दिनांक 08.08.2013 के द्वारा विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण योजना/स्ववित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता की अनुशंसा से नवीन पंजीकरण योजना 2013 प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आदेश के क्रम संख्या 20 पर मध्यम आय वर्ग-‘अ’, मध्यम आय वर्ग ‘ब’ एवं उच्च आय वर्ग के आवासों के लिये स्ववित्त योजना प्रारम्भ की गई थी। अतः सहवन से डुप्लेक्स अंकित नहीं हो सके। उपरोक्त प्रस्तावित आवास के स्थान पर डुप्लेक्स पढ़ा जावें।

उक्त आदेश आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

रु.
(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम/अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक